आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (206-209)

न्यायमूर्ति आई.एस. *टिवाणा और जवाहर लाल गुप्ता* के समक्ष

विजय कुमार सलूजा, - याचिकाकर्ता

बनाम

उप आयुक्त. करनाल और अन्य, - प्रतिवादी

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या *12066*

-10 सितंबर 1991

नगरपालिका समिति अधिनियम,–धारा 21(3) - राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव - अविश्वास प्रस्ताव को समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से पारित किया जाना चाहिए - समिति में 14 सदस्य होते हैं - 9 ने उपस्थित होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया -14 का दो तिहाई 9.33 है - अविश्वास प्रस्ताव की विवादित कार्यवाही में अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई - मान्य नहीं है।

यह अभिनिर्णीत किया गया **कि यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने अपना पद रिक्त कर दिया है "यदि प्रस्ताव समिति के कम से कम दो -तिहाई सदस्यों के समर्थन से पारित किया जाता है " (जोर दिया गया)। माना कि समिति में 14 सदस्य हैं। 14 का दो-तिहाई 9.33 है। निर्विवाद रूप से, बैठक में केवल 9 व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। 9, 9.33 से कम है - धारा 21 के अवलोकन पर, हमारी राय है कि अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों द्वारा विवादित कार्यवाही नहीं की गई थी। यह धारा 21(3) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। (पैरा 6)**

सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय कृपया इस पर कृपा करें :-

(i) मामले के रिकॉर्ड मंगवाएं और उसका अवलोकन करने के बाद;

(ii) / निर्णय/घोषणा अनुबंध "पी-1" को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करें ;

(iii) परिशिष्ट "पी-1" को शून्य और अधिकार क्षेत्र से रहित घोषित करते हुए परमादेश की एक रीट जारी करें :

(iv) कोई अन्य रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाए;

(v) परिशिष्ट *"पी-1"* की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट दी जाए; और

(vi) याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाएगी ।

आगे प्रार्थना की गई है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान , अनुलग्नक "पी-1" के संचालन पर रोक लगाई जाए क्योंकि याचिकाकर्ता को भारी और अपूरणीय क्षति और चोट होगी, यदि अवैध आदेश अनुलग्नक "पी-1" के कारण उसे नगर पालिका समिति के अध्यक्ष का 'कार्यालय' संभालने की अनुमति नहीं है, जो अंततः रद्द किया जा सकता है।

संजीव वालिया, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

वी.के. जैन *प्रतिवादियों की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा*

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता,

(1) याचिकाकर्ता म्यूनिसिपल कमेटी घरौंडा के अध्यक्ष हैं। वह 1 अगस्त, 1991 को नगरपालिका समिति की एक विशेष बैठक में लिए गए निर्णय से व्यथित हैं। इस निर्णय की एक प्रति अनुलग्नक पी 1 पर है। संबंधित भाग इस प्रकार है: -

"निर्णय: यह बैठक श्री मोहिंदर कुमार, एफसीएस की अध्यक्षता में 4 बजे शुरू हुई और बैठक में सभी 9 सदस्यों ने श्री विजय कुमार सलूजा के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया। सभी 9 सदस्यों को मतपत्र दिए गए और उन्होंने अपना वोट डाला. मतपत्रों की गिनती की गई और सभी 9 वोट श्री विजय कुमार सलूजा के खिलाफ पाए गए। अतः चूँकि नगर पालिका के सदस्य 14 हैं, जिनमें से सभी 9 सदस्यों ने श्री विजय कुमार सलूजा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया है, अतः यह 2/3 बहुमत है । मुनिसिपल कमेटी, घरौंडा के वर्तमान अध्यक्ष श्री विजय कुमार सलूजा को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। "

एसडी/-

(मोहिंदर कुमार), एच.सी एस.,

एस.डी.ओ. (एन), करनाल

(2) : उपरोक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि नगर निगम समिति में कुल 14 सदस्य हैं। 1 अगस्त 1991 को हुई बैठक में केवल 9 सदस्य उपस्थित थे और सभी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। याचिकाकर्ता ने इसे अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है।

(3) अवसर के बावजूद उत्तरदाताओं ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया है। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वी.के. जैन ने उन्हें जवाब दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए एक संक्षिप्त स्थगन देने की प्रार्थना की है। इस तथ्य को

ध्यान में रखते हुए कि पहले एक अवसर दिया गया था और तथ्यों पर कोई विवाद नहीं था, हम श्री जैन की प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री संजीव वालिया ने प्रस्तुत किया है कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के विपरीत है। दूसरी ओर, श्री जैन ने तर्क दिया है कि कुल 14 सदस्यों में से 9 ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है, विवादित कार्रवाई कानूनी और वैध है।

(5)धारा 21 के प्रासंगिक भाग को निकालना उपयुक्त है।

'धारा 21. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव,-

1. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है-
2. **उप आयुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी, जो रैंक से नीचे का न हो या अतिरिक्त सहायक आयुक्त, जैसा कि उप आयुक्त अधिकृत कर सकता है, निर्धारित तरीके से उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाएगा। नियमों में, और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।**
3. **यदि प्रस्ताव को समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से स्वीकार किया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को अपना पद खाली कर दिया गया माना जाएगा।**

(6) प्रासंगिक प्रावधान, वास्तव में, खंड (3) में निहित है। इसमें प्रावधान है कि "यदि प्रस्ताव समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से पारित किया जाता है" तो राष्ट्रपति को अपना पद खाली कर दिया गया माना जाएगा (जोर दिया गया)। माना कि समिति में 14 सदस्य हैं। 14 का दो-तिहाई 9.33 है। निर्विवाद रूप से, बैठक में केवल 9 व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने

याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। 9, 9.33 से कम है । धारा 21 के अवलोकन पर, हमारी राय है कि अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों द्वारा विवादित कार्यवाही नहीं की गई थी। यह धारा 21(3) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

(7) उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और अनुबंध पी 1 पर लागू कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है। यह घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कानून के अनुसार पारित नहीं किया गया था। मामले की परिस्थितियों में, पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh